## न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)
पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 36/2017**

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये :– श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री कस्तुरी लाल शर्मा उम्र 39 वर्ष जाति शर्मा निवासी जवाहर चौक अमरपुरा वार्ड नं0 17 मांगरोल जिला बारां (मौके पर मौजुद विक्रेता व मालिक) मैसर्स शर्मा भौजनालय एण्ड रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर, सुभाष सर्किल मांगरोल जिला बारां।
2. श्रीमती दीपा गर्ग पत्नि श्री अंतिम गुप्ता निवासी 862, वीएसई विवेकानन्द नगर, कोटा (ऑथोराईज्ड पर्सन ऑफ कोटा फ्रेश मिल्क)।
3. श्री विष्णु कुमार साबु पुत्र मुरलीधर साबु निवासी शिव एग्रीवों लिमिटेड कलमण्डा, बारां (साझेदार–1) शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा (राज.)
4. श्री बजरंग कुमार साबु पुत्र मुरलीधर साबु निवासी 343–ए, तलवण्डी कोटा (साझेदार–2) शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा (राज.)
5. श्री संदीप साबु पुत्र श्री सुदर्शन कुमार साबु निवासी 343–ए, तलवण्डी कोटा (साझेदार–3) शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा (राज.)
6. श्री सत्य प्रकाश साबु पुत्र श्री मुरलीधर साबु निवासी झालावाड रोड बारां (साझेदार–4) शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा (राज.)
7. श्रीमती निशा देवी साबु पत्नि/पुत्री श्री कन्हैया लालल लखोटीया निवासी 343–ए, तलवण्डी कोटा (साझेदार–5) शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा (राज.)
8. पुजा साबु पत्नि/पुत्री श्री मनीष साबु निवासी 343–ए, तलवण्डी कोटा (साझेदार–6) शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा (राज.)
9. शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा (राज.)

(अप्रार्थीगण)

**जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) एफएसएस एक्ट 2006 एवं विनियम 2011**

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री रूपेन्द्र सिंह अभिभाषक (अप्रार्थी क्र. 1 व 2)

**निर्णय दिनांक 28.06.2019**

प्रकरण श्री राजेश कुमार रामचन्दानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 02.05.2017 को मैसर्स शर्मा भौजनालय एण्ड रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर, सुभाष सर्किल मांगरोल जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री कस्तुरी लाल शर्मा **(मौक पर मौजूद विक्रेता)** की हैसियत से उपस्थित थे, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया।

मैं राजेश कुमार रामचन्दानी दिनांक 02.05.2017 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र मे प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक/एच/पीएफए /नोटिफिकेशन /2011 /440 दिनांक 25.7.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2014 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अनतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहा पर खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** 500 एम.एल. पैक में विक्रय हेतु रखे हुऐ थे। मैने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** मे मिलावटी व मिथ्याछाप का शक होने पर, विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा खाद्य वस्तु **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट) की** विक्रेता से 500 मि0ली0 की 04 पॉलीपैक थैली को खोलकर साफ सुखी तपेली में तुलवाकर वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री कस्तुरी लाल शर्मा को 80/– रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री राकेश गुर्जर व अमर सिंह के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये। जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** 02 लीटर को 04 नमूना भाग अलग–अलग चार नमूना भाग में कर खाली साफ एवं सुखी कांच के जारों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक जार में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बून्दें डालकर प्रत्येक जार को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक निमूने पर चिपकाये और लेबलो पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–716 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग मय खाली पॉलीपैक के कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–716 नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से उपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना लेकर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री कस्तुरी लाल शर्मा ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्या एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2017/123 दिनांक 10.05.2017 से ज्ञात हुआ कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 319/FSSA/ Kota/Act /2017 /319 दिनांक 05.05.2017 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 की धारा 3(1)(ZX) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने अनुसंधान हेतु मैसर्स शर्मा भौजनालय एण्ड रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर, सुभाष सर्किल मांगरोल जिला बारां से पत्रांक 136 दिनांक 25.05.2017 द्वारा फर्म का खाद्य अनुज्ञा/रजि0 पत्र एवं अन्य दस्तावेज की सूचना चाही गई। मैसर्स शर्मा भौजनालय एण्ड रिफ्रेशमेन्ट सेन्टर द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा पत्र, क्रय बिल एवं पहचान दस्तावेज की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। श्रीमती दीपा गर्ग पत्नि श्री अंतिम गुप्ता निवासी 862, वीएसई विवेकानन्द नगर, कोटा (ऑथोराईज्ड पर्सन ऑफ कोटा फ्रेश मिल्क) से पत्रांक 204 दिनांक 21.08.2017 एवं 220 दिनांक 12.09.2017 द्वारा फर्म खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। श्रीमती दीपा गर्ग पत्नि (ऑथोराईज्ड पर्सन ऑफ कोटा फ्रेश मिल्क द्वारा प्रतिउत्तर में खाद्य अनुज्ञा आवेदन चालान की कॉपी, बूथ एग्रीमेन्ट कॉपी, क्रय बिल एवं पहचान दस्तावेजों एवं क्रय बिल की छायाप्रति कार्यालय में पेश किया गया। शिव हेल्थ फूड एलएलपी, ई, 164–167, रिको एग्रो फूड पार्क, फेस–II, रानपुर, कोटा से पत्रांक 221 दिनांक 12.09. 2017 द्वारा खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं अन्य दस्तावेजों की सूचना चाही गई। शिव हेल्थ फूड एलएलपी द्वारा कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया गया। एवं श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी वृत द्वितीय कोटा राज. को लिखा पत्रांक 245 दिनांक 12.10.2017 एवं 296 दिनांक 09.11.2017 जिसके प्रतिउत्तर में श्रीमान वाणिज्य कर अधिकारी वृत द्वितीय कोटा द्वारा साझेदारों की सूची संलग्न कर भिजवाई गई। समस्त दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज दिनांक 05.12.2017 को रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 के अभिभाषक उपस्थित है। अप्रार्थीगण 3 ता 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी क्रम 1 एवं 2 द्वारा मय अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत कर जवाब प्रस्तुत कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**दौराने बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी** ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट) 500 मी.ली.** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

**इसके विपरीत अप्रार्थीगण क्रम 1 व 2 के अभिभाषक ने कहा कि** खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रकरण पेश किया गया है। खाध सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो सेम्पल भरा गया है जिसकी एफ.एफ.एल. रिपोर्ट में यह नही पाया गया है की उक्त खाद्या पदार्थ मानव जीवन के लिए घातक और अपमिश्रण है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** वास्ते नमूना जॉच हेतु अप्रार्थी की दुकान से क्रय किया गया था। उक्त **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** अप्रार्थी द्वारा निर्मित नही किया जाता था बल्कि एजेन्सी से क्रय किया जाता था। उक्त **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** में अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की केमिकल इत्यादि की मिलावट नही की गई है। एजेन्सी से प्राप्त माल ही विक्रय किया गया है। अप्रार्थी गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी की दुकान भी ज्यादा नही चलती है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाने की कृपा करे।

इसके विपरीत अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी क्रम 1 को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 319/FSSA/KOTA/Act/2017/319 दिनांक 05.05.2017 के बाद खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट)** की पुनः जांच करवाये जाने हेतु, जर्ये पत्र सूचित किया जाकर, एक माह का समय दिया गया था। अप्रार्थी क्रम 1 का दायित्व था कम्पनी को सूचित किये जाने का किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा पुनः जांच नही करवायी गई है। है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और उस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अप्रार्थी क्रम 1 के पास से वास्ते नमूना जॉच क्रय किया गया, खाद्य पदार्थ **पाश्च्यूराईज्ड टोन्ड दूध (कोटा फ्रेश डिलाईट) 500 मि0ली0 पैक** जॉच मे **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 51 के तहत प्रत्येक अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 9 को 10,000/– 10,000/–रूपये की जुर्माना राशि, प्रकरण मे कुल जुर्माना राशि 90,000/– अक्षरे नब्बे हजार रूपये मात्र के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)